The Constitutional (One Hundred & One Amendment) Act, 2016 has come into effect from 16th September 2016. As per the Act, the Central Government will be compensating for five years to the States for any loss that might be incurred due to the introduction of Goods and Services Tax.

The Government of Maharashtra has abolished Local Body Tax from 1st August, 2015 payable by the importers having turnover less than Rs. 50 crore per annum. Compensation in the form of grant of Rs. 3,290 crore was paid by the State Government to the Local Bodies on this account. The aforesaid proposal of Maharashtra Government for compensation under GST is still pending with the Ministry of Finance, Government of India and the Government of Maharashtra is facing financial catastrophe due to the aforesaid non-payment of compensation of GST by the Central Government.

Therefore, through this august House, I urge that urgent and suitable directions may please be issued to the Government of India to consider and release Rs. 3,290 crore grant to the State of Maharashtra towards abolition of partial Local Body Tax with 2015-16 as the base year for the purpose of calculation of compensation under Goods and Services Tax Compensation Act, 2016.

Demand for payment of pending GST dues to Madhya Pradesh

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश) : महोदय, हर माह मध्य प्रदेश को GST के 2,157 करोड़ रुपए चाहिए। जीएसटी लागू होते समय फॉर्मूला बना था कि राज्य सरकार को होने वाली आय का 14 फीसदी सुरक्षित किया जाएगा। जीएसटी से जितनी आय होगी, और इस फॉर्मूले से वह कम होगी, तो उसका अंतर केन्द्र देगा, उसे ही कम्पनसेशन राशि कहा गया है। वित्तीय साल 2019-20 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लिए यह राशि 2,157 करोड़ रुपए प्रति माह है। जनहित के कार्यों के लिए यह राशि तत्काल अपेक्षित है। आपके माध्यम से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश की उक्त राशि व जो भी राशि शेष बची है, वह शीघ्रातिशीघ्र प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित है।

Demand to review the decision to merge Malaria Research Centre, Rourkela with the Centre at Ranchi

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा) : महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि ओडिशा में आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में स्थित मलेरिया रिसर्च सेंटर को झारखंड के रांची केन्द्र के साथ विलय किया जा रहा है। उक्त रिसर्च सेंटर को हटाने से राज्यवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। I.C.M.R. द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राउरकेला में स्थित मलेरिया रिसर्च सेंटर को इसके राँची केन्द्र के साथ विलय किया जाना है। यहाँ के कर्मचारियों को विभिन्न केन्द्रों में transfer किया जा रहा है।